COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES / COURT FEE INDIA TEN RUPEES

389

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PARN- 2698/2018/छतरपुर /भू.रा. प्रकरण क्रमांक / 18

1. श्रेयेश त्रिपाठी तनय गुलाब त्रिपाठी ना. बा. द्वारा विधिक संरक्षक व नेचुरल गार्जियन श्री गुलाब त्रिपाठी निवासी ग्राम डुमरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर

2. ज्ञानेश त्रिपाठी तनय हेमन्त त्रिपाठी ना. बा. द्वारा विधिक संरक्षक व नेचुरल गार्जियन पिता श्री हेमन्त त्रिपाठी निवासी ग्राम डुमरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर

3. श्रीमती उपासना त्रिपाठी पत्नी गुलाब त्रिपाठी पुत्री श्री महेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी संरक्षक उत्तरवादी क्र. 1, 2 निवासी ग्राम डुमरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर ----- आवेदकगण

बनाम

1. हजारी लाल दुबे तनय गौरीशंकर दुबे निवासी ग्राम पनागर तहसील बिजावर जिला छतरपुर म.प्र.

2. जे.के.व्ही. डेव्लोपर्स इंडिया लि. सटई रोड छतरपुर डायरेक्टर श्री रमेश कुमार तिवारी वार्ड न. 33, सटई रोड होमगार्ड आफिस के पास छतरपुर

3. श्रीमती दुर्जी बाई पुत्री चन्नू पत्नि घसीटा चमार निवासी पनागर हाल कासीपुरा तहसील व जिला छतरपुर --- अनावेदकगण

प्रस्तुत 2.5.18

श्री राम सेवक शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 2-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

3

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि• 2011 ,
म•प्र•भू• रा•सं• 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17•4•18 द्वारा पारित
न्यायालय उपखाण्ड अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर राजस्व प्र•क्र•
36/अपील/17-18 हजारी लाल दुबे विरूद्ध त्रिवेश त्रिपाठी के निर्णय
से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

1• यह कि, प्रकरण में वर्णित सर्वे नम्बरान 2358, 2367, 2368, 2375 2376, 2377, 2378, कुल किता 7 कुल रकवा 0•950 है0 लगानी 2•65 पैसे के भूमि स्वामी अनावेदक क्र• 1 थे जिन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा प्रकरण में वर्णित सभी भूमियां विक्रय पत्र क्र• ए 1835 दिनांक 13•6•2013 के द्वारा 6000000 अना• क्र• 2 जे•के•व्ही• डेव्लोपर्स को बेच दी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 15•6•13 को तहसीलदार बिजावर द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया जो एनेक्चर ए -1 है ।

2• यह कि, अना• क्र• 2 जे•के•व्ही•डेव्लोपर्स द्वारा प्रकरण में वर्णित सभी भूमियां आवेदक क्र• 1 , 2 , 3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 10•3•17 को आवेदक को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर दिनांक 1•4•17 को तहसीलदार बिजावर द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया ।

3• यह कि, अनावेदक क्र• 1 हजारीलाल दुबे द्वारा दिनांक 1•4•17 से दुखी होकर अपील न्यायालय उपखाण्ड अधिकारी बिजावर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके साथ धारा 5 अवधि विधि अधिनियम का प्रश्न किया क्योंकि

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-2698/2018/छतरपुर/भू.रा.

त्रंकेश विरूद्ध हंजारीलाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 27-03-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 36/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 17-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br>2. पक्षकार दिनांक 27-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>(आर.के. जैन) 27/3/19<br>सदस्य | |